कार्यकारी सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 (मनरेगा), प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उददेश्य से अधिनियमित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2007–12 की अवधि की मनरेग्स से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास लखनऊ, मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं आयुक्त ग्रामीण रोजगार गारंटी, लखनऊ के कार्यालय में की गयी। नमूना जांच मार्च 2012 से जून 2012 तक की गयी। नमूना जांच में लिये गये 18 जिलों की जिला पंचायतों, 46 ब्लाकों की क्षेत्र पंचायतों (इन्हीं जिलों के अन्तर्गत), 460 ग्राम पंचायतों (इन्हीं ब्लाकों के अन्तर्गत), इन्हीं ग्राम पंचायतों में कराये गये 4,453 कार्यों एवं प्रत्येक चयनित जिलों में दो लाइन विभागों के अभिलेखों की जांच की गयी। इसके अलावा 4,600 लाभार्थियों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में दस) का साक्षात्कार भी लिया गया।

लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में कुल ₹ 22,174.00 करोड़ खर्च हुये।

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

- सरकार ने एसईजीसी का गठन किया परन्तु पीआरआई से अकार्यालयीय सदस्य 19 महीनों के विलम्ब से नामित किये गये एवं साथ ही सभाओं की आवृत्ति एवं आवश्यक कोरम का निर्धारण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, एसईजीसी की बैठक वर्ष में एक/दो बार ही हो सकी, जिससे मनरेगा के कार्यान्वयन में इसकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व सीमित रही।

  सरकार को एसईजीसी द्वारा प्रभावकारी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उददेश्य से मीटिंग के लिये कोरम एवं अवधि निर्धारित करनी चाहिए।

- भारत सरकार द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक ढांचे का अनुपालन करना था। परन्तु स्टाफ की कमी के कारण ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय सहयोग सीमित रहा। सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए व्यापक नियोजन की कमी के कारण सूचना का प्रभावी संचार भी नहीं था।

  सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि उत्तरदायी केन्द्रों के प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित एवं पर्याप्त श्रमशक्ति तैनात हो ताकि योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा सके एवं साथ ही साथ वह लाभार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति भी बना सकती है।

- ग्राम पंचायतों को उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों, जिलों को अपने सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये वार्षिक विकास योजना बनानी थी। तथापि, विभिन्न स्तरों पर मुख्य कार्मिकों द्वारा नियोजन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। जिला स्तर पर नियोजन अपर्याप्त था जो रोजगार सृजन एवं सतत विकास के लिये मनरेगा के अधीन लिये जाने वाले कार्यों की पहचान न होने का कारण बना।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि नियोजन गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिये, जैसा उपबन्धित है, उस तरह से शुरू किया जाए।

- नियोजन प्रकिया का अनुपालन न किये जाने के कारण, आवश्यक श्रम बजट निर्धारित तिथियों पर भारत सरकार को प्रस्तुत (2008–12) नहीं किया गया, जो अंततः केन्द्रांश एवं राज्यांश के जारी होने में विलम्ब का कारण बना। इसके अतिरिक्त, राज्यांश की अवमुक्ति में कमी के कारण एक्ट में निर्धारित अंशों की भागीदारी शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ।

  सरकार, श्रम बजट को भारत सरकार को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कर सकती है जिससे कि निधियों का समय से अवमुक्त होना सुनिश्चित हो सके।

- 2007–12 की अवधि के समेकित वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये थे। जनपद स्तर पर तथा निचले स्तर पर तैयार किये गये वार्षिक लेखे सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए बैंकिंग रूट पुनः स्थापित करने से, लेखांकन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

  सरकार पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर के लिये लेखे का समान प्रारूप निर्धारित कर सकती है ताकि लेखों पर नियंत्रण सुनिश्चित होने के साथ ही साथ लेखे सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करें।

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके कारण भिन्न–भिन्न समयों पर निधियों के अंतरण के लिये अलग–अलग मापदण्ड अपनाना पड़ा। इसके अलावा, एमओआरडी द्वारा विकसित इण्टरनेट आधारित एमआईएस का उपयोग करने की जगह, ₹ 2.13 करोड़ परिहार्य आवर्ती वार्षिक व्यय पर वेब आधारित बजट एवं फण्ड फ्रेमवर्क साफ्टवेयर विकसित किया गया।

  सरकार अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार कर सकती है एवं संशोधनों के साथ एमआईएस अपना सकती है, जिससे कि ₹ 2.13 करोड़ वार्षिक व्यय की बचत हो सके।

- योजना के निष्पादन से सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण, पिछले वर्ष (2010–11) की तुलना में 2011–12 के दौरान परिवारों को रोजगार प्रदान करने में सारभूत गिरावट (14.54 प्रतिशत) को प्रकट करता था।

- जॉब कार्ड, लाभार्थियों को डोर–टू–डोर सर्वे के माध्यम से उचित पहचान करने के बाद जारी करने की जगह, प्राप्त हुये आवेदनों के आधार पर जारी किये गये। परिणामस्वरूप, राज्य में महिलाओं का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व (उन लोगों के सापेक्ष जिन्होंने मजदूरी रोजगार प्राप्त किया), 33 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 18 से 22 प्रतिशत के बीच (2008–12) रहा।

  सरकार, डोर–टू–डोर सर्वे कर कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित कर सकती है, ताकि योजना को अक्षरशः क्रियान्वित किया जा सके।

- वर्ष 2007–12 की अवधि में, 100 दिन का रोजगार केवल 2.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत मजदूरों को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवारों के मामले थे, जिन्हें 100 दिन से अधिक का रोजगार मुहैया कराया गया।

सरकार पंजीकृत लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित कर सकती है।

- राज्य में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जैसे कम प्राथमिकता वाले कार्य को अधिक प्राथमिकता दी गयी, जबकि जल संरक्षण एवं जल संग्रह, जिसे उच्च प्राथमिकता दिया जाना था, को कम प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त, कार्य जो अनुमन्य नहीं थे उन्हें भी क्रियान्वित किया गया।

  सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार अनुमन्य कार्यों को ही कियान्वित किया जाय।

- योजना के अधीन सामग्री की प्राप्ति के लिये नियम न तो आवश्यकतानुसार तैयार किये गये और न ही मौजूद खरीद नियमों का पालन ही किया गया। मजदूरी के अधिक एवं कम भुगतान तथा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात के अतिक्रमण के भी मामले थे।

  सरकार क्रय के लिये नियम बना सकती है एवं सुनिश्चित कर सकती है कि योजना के अधीन सामग्री की प्राप्ति के लिये इनका पालन किया जाय। मजदूरी का अधिक एवं कम भुगतान तथा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात के अतिक्रमण से भी बचना चाहिए।

- कई प्रकरणों में मांग आधारित बाटम–अप योजना को टाप–डाउन आवंटन आधारित योजना के रूप में संशोधित कर दिया गया। अन्य कार्यक्रमों से मनरेग्स के कार्यों में निधियों के अन्तरण की जगह, मनरेग्स की निधि को विभागीय कार्यों एवं योजनओं के क्रियान्वयन के लिये बड़े पैमाने पर अन्तरण किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तरवर्ती वर्षों में उन्हें कम प्राथमिकता देने के कारण अधूरे कार्यों में निधि अवरूद्ध रही।

  सरकार आवंटन नियत करते समय बाटम–अप एप्रोच तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकती है।

- आँकड़ों को फीड करने के लिए जिम्मेदार कर्मिक कुशल नहीं थे जिससे वे अपने कार्य की संगति एवं कार्यक्षेत्र से अनभिज्ञ थे। जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण एवं अमान्य आँकडे अपलोड हुये।

  सरकार आँकड़ों को अपलोड करने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल कार्मिकों की नियुक्ति कर सकती है।

- नमूना जांच की गयी 460 में से 57 ग्राम पंचायतों में सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियाँ नहीं बनी थी तथा शेष 403 ग्राम पंचायतों में से, 30 में, जहां पर उन्हें बनाया गया था वे कार्यों, समय सीमा, गुणवत्ता पैरामीटर आदि के बारे में परिचित नहीं थीं। राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी अपर्याप्त था। ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट के माध्यम से (वर्ष में कम से कम दो बार) तथा राज्य सरकार द्वारा गठित सोशल आडिट समिति के माध्यम से मनरेगा के कियान्वयन में जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गयी।

  मनरेगा के कियान्वयन में जनता के प्रति जावबदेही सुनिश्चित करने के उददेश्य से निर्मित अनुश्रवण प्रणाली का पालन करना चाहिए।